बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03 / 02–राज्य यो0–भू0अ0नि0(वि0सर्वे0)मुंगेर–45 / 2022...... 9221 पटना, दिनांक 15/12/2023

आदेश

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी(मु0) मुंगेर के पत्रांक 356 दिनांक 03.05.2023 द्वारा श्री यशवर्धन गौड़, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00368) के विरूद्ध दिनांक 04.12.2021 से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का प्रतिवेदन देते हुए आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 4357 दिनांक 23.05.2023 द्वारा श्री गौड़ से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति पुनः निदेशालय पत्रांक 5302 दिनांक 27.06.2023 द्वारा अंतिम अवसर देते हुए इस शर्त्त के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनका संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। दो बार अवसर एवं स्पष्ट निदेश दिए जाने के बावजूद भी इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है।

इस संबंध में निदेशालय पत्रांक 5300 दिनांक 27.06.2023, स्मार पत्रांक 6698 दिनांक 28.08.2023 एवं पत्रांक 8517 दिनांक 13.10.2023 द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी से श्री गौड़ के संबंध में मंतव्य सहित अनुशंसा की मांग की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 865 दिनांक 31.10.2023 द्वारा इनके विरूद्ध लम्बी अवधि से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य एवं अनुशंसा तथा संचिका में रक्षित ऑनलाईन उपस्थिति पंजी की समीक्षा की गयी है। ऑनलाईन उपस्थिति पंजी के अवलोकनोपरांत बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा इनपर लगाया गया आरोप प्रमाणित है। इसके बावजूद भी इन्हें अपना पक्ष रखने हेतु दो अवसर प्रदान किया गया है, परन्तु इनके द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया गया है। इससे स्पष्ट है कि ये कर्त्तव्य के प्रति लापरवाह एवं अनुशासनहीन कर्मी हैं।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने हेतु विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का नियोजन किया गया है। श्री गौड़ के अनाधिकृत अनुपस्थित रहने से इनको आवंटित मौजा का कार्य प्रभावित हुआ है, जिससे अन्य प्रक्रम के कार्य में विलंब हुआ है। ऐसे कर्मियों के रहते निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है एवं इसका कुप्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना उचित होगा।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम 8(4)"** के आलोक में श्री यशवर्धन गौड़, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00368) का संविदा समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
14/12/23

ज्ञापांक :– 03 / 02–राज्य यो0–भू0अ0नि0(वि0सर्वे0)मुंगेर–45 / 2022 9221 पटना, दिनांक 15/12/2023

प्रतिलिपि :– श्री यशवर्धन गौड़, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00368), बंदोबस्त कार्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–राज्य यो0–भू0अ0नि0(वि0सर्वे0)मुंगेर–45 / 2022 9221 पटना, दिनांक 15/12/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–राज्य यो0–भू0अ0नि0(वि0सर्वे0)मुंगेर–45 / 2022 9221 पटना, दिनांक 15/12/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत संधारित श्री गौड़ की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप